राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ.18(I-54)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/ 6740-6822 दिनांकः 11/9/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :-- एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यकम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2012 को आयोजित राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की बैठक में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में प्राथमिकता पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। घरों में शौचालयों के निर्माण से जहां ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से इस कुंठा से मुक्ति मिलेगी एवं उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सकेगा, वहीं जलग्रहण परियोजनाओं की कियान्विति हेतु महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यकम अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के घरो में शौचालय निर्माण हेतु अनुदान का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से कन्वर्जेन्स के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विस्तृत दिशा--निर्देश जारी किये हैं, जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के जॉब कार्डधारी परिवारों के आवास पर व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय कार्य कराये जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना 2010--11 में प्राप्त पुरस्कार राशि के उपयोग हेतु दिशा--निर्देश पंचायती राज विभाग के पत्र कमांक एफ.4(52) पराविं/पीसी/निर्मल ग्राम पुरस्कार/2007/101 दिनांक 21.02.2011 द्वारा जारी किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का प्रावधान है।

अतः राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा लिए गये निर्णय की अनुपालना में आपके जिले में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में प्राथमिकता से शौचालय निर्माण कराते हुए इसकी पृथक से मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावें।

शासन सचिव,
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ.18(I-54)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 6740 - 6822 दिनांकः 11/5/12

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रथम / द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
7. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-MIES) / P.O.(LR), निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त) को भेजकर लेख है कि अविलम्ब जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित गांवों में उपरोक्तानुसार शौचालय निर्माण हेतु लाभान्वितों का चयन कर स्वीकृति जारी कराने हेतु समुचित कार्यवाही करे एवं शौचालय निर्माण की प्रगति से निदेशालय को अवगत करावें।
9. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक